न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 113 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सुरेश चन्द पुत्र मंगलचंद जाति महाजन निवासी धाकडी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : — 26/03/2025

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद ग्राम धाकड़ी के वर्तमान खाता संख्या 262 के खसरा संख्या 1989 / 12, 1989 / 14, 1989 / 15, 1989 / 6, 1990 / 6, 2037, 2058 / 12, 2058 / 6 कुल खसरा संख्या 08 कुल रकबा 4.5800 हैक्टर तथा खाता संख्या 263 के खसरा संख्या 2032, 2051, 2053 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर एवं खाता संख्या 264 के खसरा संख्या 1989 / 13, 1990 / 12, 2049, 2050, 2058 / 13 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर आई हुई स्थित है। खाता संख्या 262 में वादी का पूर्व में 1/4 हिस्से एवं खाता संख्या 263 में 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 264 में 1/24 हिस्से के रूप में सुरेश कुमार पुत्र मंगलचंद जाति महाजन के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ थी, तथा उक्त खाते में वादी की माता झणकारी पत्नी मंगलचंद जी के नाम से भी इसी हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज चली थी। वादी की माता के स्वर्गवास के बाद उनके स्थान पर नामान्तरण उनके सभी विधिक वारिसान के नाम से दर्ज किया गया है, जिसमें वादी का नाम सुरेश चंद पुत्र श्री मंगलचंद के नाम से दर्ज किया है, जो सही दर्ज किया है। पूर्व में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सुरेश कुमार पुत्र मंगलचंद के नाम से दर्ज कर दिया गया था, तथा वादी की माता के स्वर्गवास के वाद नामान्तरण दर्ज किया गया था, जिसमें वादी के दस्तावजो के अनुसार सुरेश चंद पुत्र श्री मंगल चंद के नाम से दर्ज किया, जो सही दर्ज हुआ है, वादी के पहचान पत्र, आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेज सुरेश चंद पुत्र मंगल चंद के नाम से दर्ज सुदा है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दोनो अलग अलग दर्ज होने से वादी को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में वादी सुरेश कुमार पुत्र मंगलचंद के स्थान पर सुरेश चन्द पुत्र मंगलचंद के नाम से खातेदारी दर्ज करवाना चाहता है। वादी ने उक्त कृषि भूमि में नाम शुद्धि करवाने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस समय वादी को तहसीलदार सोजत (प्रतिवादी) द्वारा नियमित वाद पेश कर खातेदारी में नाम परिवर्तित करने की हिदायत दी गई तथा रेकर्ड दुरूस्ती का मामला नहीं मानते हुए, इन्कार कर दिया था। इसलिए वादी के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा। इसलिए वाद सुरेश कुमार पुत्र मंगलचंद के स्थान पर सुरेशचंद पुत्र मंगलचंद के नाम से खातेदारी घोषित करवाने का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश है। इस

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की फरमायी जावे कि सरहद ग्राम धाकड़ी के वर्तमान खाता संख्या 262 के खसरा संख्या 1989/12, 1989/14, 1989/15, 1989/6, 1990/6, 2037, 2058/12, 2058/6 कुल खसरा संख्या 08 कुल रकबा 4.5800 हैक्टर तथा खाता संख्या 263 के खसरा संख्या 2032, 2051, 2053 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर एवं खाता संख्या 264 के खसरा संख्या 1989/13, 1990/12, 2049, 2050, 2058/13 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर की कृषि भूमि में सुरेश कुमार पुत्र मंगलचंद के स्थान पर सुरेशचंद पुत्र श्री मंगलचंद के नाम से खातेदारी दर्ज किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया गया।

वादग्रस्थ कृषि भूमि के मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2025/259 दिनांक 18.02.2025 के जरिये निवेदन किया कि सरहद मौजा धाकड़ी के खाता सं0 262, 263, 264 के राजस्व रेकर्ड में सुरेश कुमार पुत्र मंगल चन्द तथा सुरेश चन्द पुत्र मंगल चन्द की खातेदारी दर्जसुदा हैं। मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पुछताछ करने पर सुरेश कुमार व सुरेश चन्द दोनो एक ही व्यक्ति के भिन्न–भिन्न नाम है तथा जमाबंदी में सुरेश चंद व सुरेश कुमार की दोहरी प्रवृष्टि हैं, की रिपोर्ट पेश की। जो सा0मि0 हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में पूर्व में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में सुरेश कुमार पुत्र मंगलचंद के नाम से दर्ज कर दिया गया था, तथा वादी की माता के स्वर्गवास के बाद नामान्तरण दर्ज किया गया था, जिसमें वादी के दस्तावजो के अनुसार सुरेश चंद पुत्र मंगल चंद के नाम से दर्ज किया, जो सही दर्ज हुआ है। जबकि सुरेश चन्द तथा सुरेश कुमार दोनों एक ही व्यक्ति हैं। केवल त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में अलग –अलग नाम से दोहरी प्रविष्टि हो गई है, जिससे वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुरेश कुमार पुत्र मंगल चन्द के स्थान सुरेश चन्द पुत्र मंगल चन्द दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व वाद मय शपथ पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से सुरेश कुमार पुत्र मंगल चन्द तथा सुरेश चन्द पुत्र मंगल चन्द के दोनों एक ही व्यक्ति के अलग–अलग नाम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी सुरेशचन्द पुत्र मंगलचन्द को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

स्थान पर सुरेशचन्द पुत्र मंगलचन्द का नाम दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम धाकड़ी के वर्तमान खाता संख्या 262 के खसरा संख्या 1989/12, 1989/14, 1989/15, 1989/6, 1990/6, 2037, 2058/12, 2058/6 कुल खसरा संख्या 08 कुल रकबा 4.5800 हैक्टर तथा खाता संख्या 263 के खसरा संख्या 2032, 2051, 2053 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर एवं खाता संख्या 264 के खसरा संख्या 1989/13, 1990/12, 2049, 2050, 2058/13 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.9700 हैक्टर का वादी सुरेशचन्द पुत्र मंगलचन्द को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुरेश कुमार पुत्र मंगलचन्द के स्थान पर सुरेशचन्द पुत्र मंगलचन्द का नाम दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)